

बिन्दु क्रमांक 40

Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purpose under the Forest (Conservation) Act 1980 – Stipulation of additional conditional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)

लागू नहीं होता

**परियोजना का वनक्षेत्र में व्यवस्थापन हेतु औचित्य उपयोगकर्ता
अभिकरण द्वारा प्रस्तुतीकरण
ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु वनभूमि
व्यपवर्तन परियोजना प्रतिवदेन**

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F. No. 3-1/2003-PT (relocation) Feb 2008 विस्थापन हेतु जारी दिशा निर्देश अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को मानव विहीन करने एवं वन्यप्राणियों हेतु घास मैदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में जैविक दबाव कम करने एवं वन्यप्राणियों हेतु घास मैदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार ग्रामों का व्यवस्थापन कर वन्यप्राणियों के रहवास में विकास किया जायेगा। अचानकमार टाईगर रिजर्व वनस्पति एवं वन्यप्राणियों के नाम से ख्याति प्राप्त है, वन्यप्राणी गणना वर्ष 2014 में डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व में 10-12 बाघ का आंकलन किया गया है। मांसाहारी वन्यप्राणियों के आहार हेतु शाकाहारी वन्यप्राणियों के रहवास विकास से उक्त क्षेत्र में जैविक दबाव कम होगा एवं शाकाहारी वन्यप्राणियों हेतु घास की मैदान उपलब्ध होने के साथ – साथ मांसाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

व्यवस्थापित होने वाले ग्रामों के ग्रामवासियों को अधोसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का भी विकास होगा। कोर क्षेत्र के वनग्रामों के व्यवस्थापन से वन्यप्राणियों के रहवास विकास हेतु वनक्षेत्र रिक्त होगा। अतः वनग्रामों के व्यवस्थापन हेतु कोर क्षेत्र से बाहर 255.300 हे. वनक्षेत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें कृषि भूमि विकास (2 हे./परिवार), घर एवं बाड़ी (0.05 हे./परिवार), सामुदायिक विकास एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

व्यवस्थापन मुंगेली वनमंडल के आरक्षित वनक्षेत्र में किया जा रहा है। व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वनभूमि को उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यपवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबारा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन कार्य हेतु कुल 255.300 हे. वनभूमि का व्यववर्तन प्रस्ताव, केन्द्र सरकार से स्वीकृति जारी करने बाबत तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

प्रस्तावना :—

छ.ग. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2, रायपुर दिनांक 20.02.2009 द्वारा अचानकमार टाईगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। अचानकमार टाईगर रिजर्व में बिलासपुर वनमंडल के खुड़िया एवं लोरमी परिक्षेत्र तथा मरवाही वनमंडल के गौरेला, लमनी एवं बेलगहना परिक्षेत्र का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। अचानकमार टाईगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 914.017 वर्ग कि.मी. है, जिसमें 626.195 वर्ग कि.मी. कोर क्षेत्र एवं 287.822 वर्ग कि.मी. बफर क्षेत्र है।

अचानकमार टाईगर रिजर्व में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के अनेक प्रजातियां उपलब्ध हैं। टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वर्तमान में 19 ग्राम स्थित हैं। कोर क्षेत्र में जैविक दबाव समाप्त करने एवं मानव हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिये केन्द्र शासन द्वारा टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों को बाहर विस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्रामों के बाहर विस्थापित किये जाने से रिक्त हुए वनक्षेत्र में चारागाह क्षेत्र का विकास किया जायेगा, जिससे वन्यप्राणियों के रहवास में विकास होगा।

BRIEF DESCRIPTION OF THE EXISTING TIGER RESERVE:

अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर बिलासपुर से 65 कि.मी. की दूरी पर सुरम्य वादियों एवं साल वनों की नैसर्गिक छटा के बीच स्थित है, यह क्षेत्र सतपुड़ा रेंज के मैकल पहाड़ियों के बीच 914.017 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 22°17' से 22°39' उत्तर अक्षांश तथा 81°30' से 81°58' पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है।

अचानकमार टाईगर रिजर्व के साल वनों की गिनती देश के सर्वोत्तम साल वनों में की जा सकती है। इन साल वनों की नैसर्गिक छटा अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। साल-वन मुख्यतः

मैदानी क्षेत्रों, घाटियों एवं पठारों, पहाड़ियों की ढलानों में, जहां मिट्टी की गहराई कम होती है, पाये जाते हैं। अचानकमार टाईगर रिजर्व में साल वनों के साथ-साथ मिश्रित प्रजाति के वन एवं बांस के भी अच्छे वन हैं। इस टाईगर रिजर्व की प्रमुख वृक्ष प्रजाति साल एवं साजा है।

इसके अतिरिक्त यहां बीजा, धावड़ा, तिसा, कुसुम, लेड़िया, महुआ, तेन्दु, चार, आंवला, सलई, पलास, सेमल, कुल्लू आदि भी पाये जाते हैं। वर्ष 1991 तक इस टाईगर रिजर्व में बांस और काष्ठ का विदोहन एवं वनोपज का संग्रहण किया जाता रहा है। वर्तमान में सभी प्रकार के वनोपज संग्रहण प्रतिबंधित है।

साल एवं मिश्रित प्रजाति के वनों से आच्छादित इस टाईगर रिजर्व में बाघ तथा तेंदुआ मुख्य मांसाहारी वन्यजीव है। इसके अतिरिक्त गौर, सांभर, चीतल, बार्किंग डियर, लंगूर, जंगली सुअर, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, उड़न गिलहरी तथा सोनकुत्ता बहुतायत में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोर, मैना, कोयल, तोता, गिद्ध, बटेर, नीलकण्ठ, किंगफिशर, हरियल चील, हुदहुद, सातबहेनिया, नाइटजार, तीतर आदि पक्षियों की प्रजाति मिलती है।

पहुंच मार्ग —

निकटतम रेल्वे स्टेशन	:-	करगी रोड — 30 कि.मी. पेण्डारोड — 35 कि.मी.
निकटतम एयरपोर्ट	:-	रायपुर — 185 कि.मी.
सड़क मार्ग	:-	बिलासपुर से 65 कि.मी.

CURRENT STATUS OF INHABITANTS: -

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित 19 ग्रामों के ग्रामीण अल्प सुविधायुक्त दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बरसात के मौसम में ग्रामीणों को आने जाने में काफी अधिक

परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूचना तंत्र का अभाव, शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं, उपचार हेतु हॉस्पिटल का अभाव, दैनिक जरूरतों के सामान हेतु नदी-नालों को पार करते हुए 25-30 कि.मी. दूर पैदल चलकर अपनी दैनिक जरूरतों के सामान हेतु जाते हैं। कृषि भूमि का अभाव, सिंचाई साधन के नहीं होने के कारण फसल पैदावार नहीं कर सकते साथ ही ग्रामीणों के पास आय का साधन भी उपलब्ध नहीं है।

अतः टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों का विस्थापन करने से ग्रामीण समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास करेंगे। कोर क्षेत्र में ग्राम विस्थापन से रिक्त हुए क्षेत्र में चारागाह का विकास होगा, मानव हस्तक्षेप से मुक्त वनक्षेत्र विकसित होगा, जिससे वन्यप्राणियों के रहवास एवं संख्या में वृद्धि होगी।

वन मंडलाधिकारी
मुंगेली, वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)